



पीएम-दक्ष योजना

प्रलिस के ललल:

पीएम-दक्ष योजना, कौशल वकलस से संबंढतल पहल ।

मेन्स के ललल:

सरकारी नीतलतलँ और हसुतकषेप, हाशतल पर रह रहे समूहों को कौशल प्रदान करने में पीएम-दक्ष योजना का महतुत्व ।

चरुा में कतुँ?

हाल ही में सामाजकल नतुय और अधकलरतल मंतुरालय ने लोकसभा को सूचतल कतलल कल वरुष 2020-21 तथल वरुष 2021-22 के दौरलन पीएम-दक्ष (प्रधानमंतुरी दक्ष और कुशल संपनन हतलगुरलही) योजना के तहत करुमश: 44.79 करोड एवं 79.48 करोड रुपए की धनरलशल नरलधरतल की गई है ।

- इससे पहले मंतुरालय ने लक्षतल समूहों- अनुसूचतल जातल (SC), अनुय पछलडल वरुग (OBC), आरुथकल रुप से पछलडल वरुग (EBC), वमुक्त जनजातलतलँ, सफलई करुमचारतलँ के ललल कौशल वकलस योजनाओं को सुलभ बनाने हेतु 'पीएम-दक्ष' पोर्टल और 'पीएम-दक्ष' मोबलडल एप लॉन्च कतलल थल ।

प्रमुख बढल

- परचलत:**
 - पीएम-दक्ष योजना वरुष 2020-21 से लागू की गई है ।
 - इसके तहत पातुर लक्षतु समूहों के कौशल वकलस हेतु अलुपावधल प्रशकलषण करुतुकरुम जैसे अप-सुकलललगल/रसुकलललगल; उदुतुमतल वकलस करुतुकरुम और दीरुघकललकल प्रशकलषण करुतुकरुम आयोजतल कतलल जाते हैं ।
 - ये प्रशकलषण करुतुकरुम सरकारी प्रशकलषण संसुथलनों, कौशल वकलस और उदुतुमतल मंतुरालय दवलरल गठतल कुषेतरु कौशल परषलदों एवं अनुय वशलवसनीय संसुथलनों के माधुतुम से करुतुतुनवतल कतलल जा रहे हैं ।
- अरुहतल:**
 - अनुसूचतल जातल (SC), अनुय पछलडल वरुग (OBC), आरुथकल रुप से पछलडे वरुग, वमुक्त जनजातल, कचरल बीनने वलले, हाथ से मैलल ढोने वलले, टुरलंसजेंडर और अनुय समलन शुरेणतलँ के हाशतल पर रहने वलले वुतुकुतलँ ।
- करुतुतुनवतुन:**
 - यह करुतु मंतुरालय के तहत तलन नगलमों दवलरल करुतुतुनवतल कतलल जातल है:
 - रलषुटुरीय अनुसूचतल जातल वतलतु और वकलस नगलम (NSFDC),
 - रलषुटुरीय पछलडल वरुग वतलतु एवं वकलस नगलम ((NBCFDC),
 - रलषुटुरीय सफलई करुमचलरी वतलतु और वकलस नगलम (NSKFDC)
- लक्षतल समूहों के कौशल वकलस प्रशकलषण की सुथतल:**
 - पछलले 5 वरुषों में लक्षतल समूहों के 2,73,152 लुगों को कौशल वकलस प्रशकलषण दतलल गतल है ।
 - वरुष 2021-22 के दौरलन इन तलनों नगलमों के माधुतुम से लक्षतल समूहों के लगभग 50,000 लुगों को कौशल वकलस प्रशकलषण प्रदान करने कल लक्षतु नरलधरतल कतलल गतल है ।

योजना कल महतुत्व:

- नतुनतुम आरुथकल संपतुतल:**
 - लक्षतल समूहों के अधकलंश वुतुकुतलतलँ के पास नतुनतुम आरुथकल संपतुतल है, इसलतलल, हाशतल पर सुथतल इन लक्षतल समूहों के आरुथकल सशकुतुीकरण/उतुथलन हेतु प्रशकलषण कल प्रलवधलन करुनल और उनकल दक्षतलतलँ को बढलनल आवशुतुक है ।
- कलरीगरुँ की गुरलमीण शुरेणी की सहातुतल:**

- लक्ष्मि समूहों के कई व्यक्त गुरामीण कारीगरों की श्रेणी से संबंधित हैं जो बाज़ार में बेहतर तकनीकों के आने के कारण हाशिये पर चले गए हैं।
- महिलाओं का सशक्तीकरण:
 - महिलाओं को उनकी समग्र घरेलू मजबूरियों के कारण मज़दूरी, रोज़गार में शामिल नहीं किया जा सकता है जिसमें आमतौर पर लंबे समय तक काम करने के घंटे और कभी-कभी दूसरे शहरों में प्रवास करना शामिल होता है, इनलक्ष्मि समूहों के मध्य महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

कौशल विकास से संबंधित पहलें:

- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0:** इसे कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (MSDE) द्वारा वर्ष 2021 में 300 से अधिक कौशल पाठ्यक्रम उपलब्ध कराकर भारत के युवाओं को रोज़गार योग्य कौशल के साथ सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- **राष्ट्रीय कॅरियर सेवा परियोजना:** इसे वर्ष 2015 में शुरू किया गया था, योजना के तहत पंजीकृत रोज़गार चाहने वाले युवाओं को नशुल्क ऑनलाइन कॅरियर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। यह परियोजना 'केंद्रीय रोज़गार एवं श्रम मंत्रालय' के महानिदेशालय द्वारा कार्यान्वयित की जा रही है।
- **आजीविका संवर्द्धन हेतु कौशल अधिग्रहण और ज्ञान जागरूकता (SANKALP) योजना:** यह योजना अभिसरण एवं समन्वय के माध्यम से ज़िला-स्तरीय कौशल पारिस्थितिकी तंत्र पर ध्यान केंद्रित करती है। यह विश्व बैंक के सहयोग से शुरू की गई एक केंद्र प्रायोजित योजना है।
- **कौशलयाचार्य पुरस्कार:** इस पुरस्कार को कौशल प्रशिक्षकों द्वारा दिये गए योगदान को मान्यता देने और अधिक प्रशिक्षकों को कौशल भारत मशिन में शामिल होने के लिये प्रेरित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
- **उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं के प्रशिक्षण एवं कौशल विकास के लिये श्रेयस (SHREYAS):** मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय शक्तिपुता प्रोत्साहन योजना (National Apprenticeship Promotional Scheme-NAPS) के माध्यम से आगामी सत्र के सामान्य स्नातकों को उद्योग शक्तिपुता अवसर प्रदान करने के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु प्रशिक्षण और कौशल (SHREYAS) योजना शुरू की गई है।
- **आत्मनिर्भर कुशल करमचारी-नयिकता मानचित्रण यानी 'असीम' (ASEEM) पोर्टल:** वर्ष 2020 में शुरू किया गया यह पोर्टल कौशल युक्त लोगों को स्थायी आजीविका के अवसर खोजने में मदद करता है।

वर्गित वर्षों के प्रश्न

प्र. 'पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम (रकिग्नशिन ऑफ प्रायर लरनिंग स्कीम)' का कभी-कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है?

- नरिमाण कार्य में लगे कर्मचारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन।
- दूरस्थ अधिगम कार्यक्रमों के लिये विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों को पंजीकृत करना।
- सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में ग्रामीण और नगरीय नरिधन लोगों के लिये कुछ कुशल कार्य आरक्षित करना।
- राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन।

उत्तर: (a)

प्र. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिये:

- यह श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है।
- यह अन्य चीजों के साथ-साथ, सॉफ्ट स्किल, उद्यमवृत्त, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता में भी प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगी।
- यह देश के अवनियमित कार्यबल की कार्यकुशलता को राष्ट्रीय योग्यता ढाँचे (नेशनल स्किल क्वालफिकेशन फ्रेमवर्क) के साथ जोड़ेगी।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- केवल 1 और 3
- केवल 2
- केवल 2 और 3
- 1, 2 और 3

उत्तर: (c)

स्रोत: पी.आई.बी.

